



महोबा पुलिस

दिनांक- 24.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 427/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

- आज दिनांक 24.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





दिनांक- 24.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 426/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साप्ताहिक परेड का निरीक्षण, दंगा नियंत्रण उपकरणों की जांच एवं अर्दली रूम में प्रकरणों की समीक्षा कर दिये गये निर्देश।

आज दिनांक 24.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का विधिवत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की अनुशासन, सजगता एवं कार्यकुशलता का गहन अवलोकन किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस बल की शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता एवं परिचालन दक्षता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से टोलीवार दौड़ एवं विभिन्न ड्रिल कराई गई। साथ ही उपस्थित पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान सजगता, तत्परता एवं अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारियों के सरकारी वाहनों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण उपकरणों (Riot Control Equipment) की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं कार्यशीलता का परीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी उपकरण सदैव सुचारू स्थिति में उपलब्ध रहें तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पूर्ण रूप से तैयार रहें।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आदेश कक्ष में अर्दली रूम आयोजित किया गया, जिसमें अधीनस्थ कर्मिकों की पत्रावलियों का गहन अवलोकन करते हुए विभिन्न प्रकरणों का अनुश्रवण किया गया। लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ करें तथा जनसमस्याओं के समाधान में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।





दिनांक- 24.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 428/26

महोबा पुलिस

69वीं राज्य स्तरीय पुलिस प्रतियोगिता में महोबा का उत्कृष्ट प्रदर्शन, निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने जीते दो रजत पदक।

जनपद महोबा के लिए गर्व का विषय है कि 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, डॉग स्क्वाड, कम्प्यूटर एवं एंटी सबोटाज चेक प्रतियोगिता-2026 में प्रयागराज जोन के अंतर्गत जनपद महोबा का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा।

इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपनी प्रतिभा, दक्षता एवं पेशेवर कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दो रजत पदक अर्जित किए, जिससे जनपद महोबा का नाम गौरवान्वित हुआ है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल विभाग का मान बढ़ाया है, बल्कि अन्य पुलिस कर्मियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य किया है।

इस उल्लेखनीय सफलता पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में निरीक्षक विनोद कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें नगद पुरस्कार (रिवॉर्ड) प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्साहवर्धन किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 13.07.2026 से 16.07.2026 तक कमिश्नरेट लखनऊ में किया गया था, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच जनपद महोबा के प्रतिभागी द्वारा प्राप्त यह उपलब्धि विशेष रूप से सराहनीय है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त पुलिस कर्मियों को प्रेरित करते हुए निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सतत प्रयासरत रहें एवं जनपद का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहें।





दिनांक- 24.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 429/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने

शांतिर अपराधी को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्र/शराब/गांजा/जुआ की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निर्देशन में थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा गठित टीम उ०नि० योगेश रावत, का० विक्की चौधरी व का० मनोज कुमार द्वारा दिनांक 23.07.2026 को कस्बा कुलपहाड़ स्थित बागौल तिराहे के यात्री प्रतिकालय से 01 नफर अभियुक्त सचिन्द्र यादव पुत्र उत्तम सिंह यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु०अ०सं० 163/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- सचिन्द्र यादव पुत्र उत्तम सिंह यादव, उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ०नि० योगेश रावत
- का० विक्की चौधरी
- का० मनोज कुमार

अपराधिक इतिहास-

- मु०अ०सं० 140/2024 धारा 323/506 भा.द.वि.
- मु०अ०सं० 216/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- मु०अ०सं० 256/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
- मु०अ०सं० 163/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट





दिनांक- 24.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 430/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह की देखरेख में उपनिरीक्षक नरोत्तम सिंह मय हमराह हे0का0 लवलेश कुमार व रि0का0 सूरज सरोज द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24.07.2026 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सर्विस रोड स्थित नहर पुलिया, बहद ग्राम खन्ना से 01 नफर अभियुक्त महेश्वरीदीन पुत्र स्व0 भरोसा वर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम जिगनौड़ी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- महेश्वरीदीन पुत्र स्व0 भरोसा वर्मा, उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम जिगनौड़ी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उपनिरीक्षक नरोत्तम सिंह
2. हे0का0 लवलेश कुमार
3. रि0का0 सूरज सरोज





दिनांक- 24.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 431/26

महोबा पुलिस **सर्किल नगर- थाना खन्ना**

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह की देखरेख में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 24.07.2026 को उपनिरीक्षक श्री मौजीलाल वर्मा मय हमराह रि०का० हेमन्त कुमार एवं रि०का० विक्रम द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्तगण 1. छोटकू पुत्र स्व० शिवरतन यादव उम्र लगभग 50 वर्ष, 2. मुन्ना यादव पुत्र स्व० शिवरतन यादव उम्र लगभग 62 वर्ष, 3. रामआसरे पुत्र स्व० शिवरतन यादव उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासीगण ग्राम तमौरा थाना खन्ना जनपद महोबा को माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में ग्राम तमौरा से गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्तगण से संबंधित वाद क्रिमिनल केस संख्या 4589/2025, मु०अ०सं० 33/2021 धारा 147/323/336/504/325 भादवि से संबंधित है। गिरफ्तारी के उपरांत नियमानुसार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. छोटकू पुत्र स्व० शिवरतन यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष
2. मुन्ना यादव पुत्र स्व० शिवरतन यादव, उम्र लगभग 62 वर्ष
3. रामआसरे पुत्र स्व० शिवरतन यादव, उम्र लगभग 70 वर्ष निवासीगण ग्राम तमौरा थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उपनिरीक्षक श्री मौजीलाल वर्मा
2. रि०का० हेमन्त कुमार
3. रि०का० विक्रम





दिनांक- 24.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 433/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.07.2026 को ग्राम जगतपुर गड़िया थाना अजनर जनपद महोबा के पास से 01 नफर अभियुक्त रविन्द्र कुशवाहा पुत्र रामलाल कुशवाहा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पठारी नवाबाद थाना अजनर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 25 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब ब्राण्ड "झूम" नाजायज बरामद की गई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 133/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य
- 2.कां0 अमन यादव
- 3.रि0कां0 विशाल कुमार सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त:-

रविन्द्र कुशवाहा पुत्र रामलाल कुशवाहा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पठारी नवाबाद थाना अजनर जनपद महोबा

